न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 85/2021

(सी.आई.एस.नं.-85/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम, उम्र 22 वर्ष व

2- विशाल पुत्र मोरध्वज, उम्र 21 वर्ष,

निवासीगण मियाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

– अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504, 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री राजेश गुप्ता, श्री अविनाश गुप्ता व श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, अभियुक्त ओमप्रकाश की ओर से।

3- श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल, अधिवक्ता, अभियुक्त विशाल की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 02.05.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 03.08.2020 को परिवादी/मजरूब लटूरलाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी मियाड़ा द्वारा एस.आर.जी.एच. अस्पताल झालावाड़ पर दिया गया पर्चा बयान (प्रदर्श पी.-1), पुलिस थाना सारोला कलां पर इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ, कि वह ग्राम मियाड़ा का रहने वाला है। आज दिनांक 03.08.2020 को समय सुबह करीब 8.00 बजे की बात है। वह अपने पिलीया वाले खेत पर सोयाबीन की फसल में उगा घास काट रहा था, तभी ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम व विशाल पुत्र मोरध्वज के आये, जिनमें से ओमप्रकाश के पास कुटिया तथा विशाल के पास लट्ठ था, जो आते ही उसे गालियां देने लगे। इस पर वह वहां से जाने लगा, तो उसे जाते हुए को रोककर ओमप्रकाश ने उसके हाथ के कुटिये की उसके सिर पर मारी, जिससे उसके खून निकल आया और वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। फिर विशाल ने उसके

बांये हाथ, पैर पर लकड़ी की मारी। फिर यह दोनों उसे साथ मारपीट करने लगे। वह चिल्लाया तो पास ही खेत पर काम कर रहा बालचन्द लुहार दौड़कर आया, जिसने उसका बीच-बचाव किया। फिर बालचन्द लुहार उसे खेत से उठाकर उसके घर लेकर आया, जहां से उसे चन्द्रप्रकाश व उसकी पत्नी ईलाज हेतु सारोला अस्पताल लेकर गये, जहां से उसे झालावाड़ रेफर कर दिया, जहां उसका ईलाज चल रहा है, इत्यादि।

2- उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना सारोला कलां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-170/2020, अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 308, 504/149 भा.दं.सं. के अपराध के विचारण हेतु दिनांक 13.01.2020 को आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अपराध धारा 308 भा.दं.सं. अनन्य रूप से सैशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के न्यायालय में अन्तरित किया गया, जहाँ से यह प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सैशन न्यायालय, झालावाड़ को अन्तरित किया गया, जहां पर दिनांक 03.02.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 15.04.2021 को अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325, 308, 504 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन-समझकर, अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के आदेश से अन्तरित होकर यह प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु दिनांक 30.06.2021 को इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 लटूरलाल, पी.ड.-2 बालचन्द, पी.ड.-3 सन्तोष बाई, पी.ड.-4 सोनू, पी.ड.-5 हरिराम, पी.ड.-6 कमल प्रकाश, पी.ड.-7 डॉ. शिवलाल मीणा, पी.ड.-8 विनोद कुमार, पी.ड.-9 देवेन्द्र, पी.ड.-10 बालूराम, पी.ड.-11 डॉ. भूपेन्द्र गोलेच्छा व पी.ड.-12 परमानन्द के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-2, फर्द जब्ती एक बनियान

प्रदर्श पी.-3, पुलिस बयान बालचन्द प्रदर्श पी.-4, फर्द गिरफ्तारी मुल. ओमप्रकाश व विशाल क्रमशः प्रदर्श पी.-5 व पी.-6, फर्द जब्ती एक कुटिया बकब्जे मुल. ओमप्रकाश प्रदर्श पी.-7 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-8, फर्द जब्ती एक लकड़ी बकब्जे मुल. विशाल प्रदर्श पी.-9 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-10, चोट प्रतिवेदन मजरूब लट्टूरलाल प्रदर्श पी.-11, एक्सरे फॉर्म प्रदर्श पी.-12, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-13, मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.-14, जिसकी प्रति प्रदर्श पी.-14ए, एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.-15, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-16, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-17, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.-18 एवं धारा 41क का नोटिस मुलजिमान ओमप्रकाश व विशाल क्रमशः प्रदर्श पी.-17 व पी.-18, चैक लिस्ट मुल. ओमप्रकाश व विशाल क्रमशः प्रदर्श पी.-19 व पी.-20 एवं फर्द सूचना धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुल. ओमप्रकाश व विशाल क्रमशः प्रदर्श पी.-21 व पी.-22 को प्रदर्शित करवाया गया।

6- साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बतलाते हुए, झूंठा फंसाएं जाने का कथन करते हुए स्वयं का निर्दोष होना बताया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य-सफाई बन्द की गई। हालांकि साक्ष्य अभियोजन के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पुलिस बयान लट्टूरलाल प्रदर्श डी.-1 व पुलिस बयान संतोषबाई प्रदर्श डी.-1 को प्रदर्शांकित करवाया गया।

7- उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई।

8- दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हैं तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई।

9- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण का तर्क यह रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथमदृष्टया ही झूंठी है। प्रकरण के परिवादी/मजरूब पी.ड.-1 लट्टूरलाल द्वारा दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 व उसके न्यायालय में हुए बयानों में गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है तथा प्रकरण के एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड.-2 बालचन्द ने परिवादी के बयानों की ताईद नहीं की है तथा विरोधाभासी कथन किये है तथा परिवादी की पत्नी पी.ड.-3 संतोषबाई ने भी परिवादी द्वारा

बतायी गयी घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कर परिक्षित नहीं करवाया गया है। शेष गवाहान औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होंने औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। चिकित्सक साक्षी पी.ड.-7 डॉ. शिवलाल मीणा ने मजरूब के गिरने पड़ने से चोटें आना बताया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.08.2020 को समय सुबह करीब 8.00 बजे या इसके लगभग मौजा कस्बा मियाड़ा स्थित परिवादी के पिलीया वाले खेत पर परिवादी लटूरलाल के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जाने का विधिक अधिकार था तथा परिवादी लटूरलाल के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार कुटिया व लकड़ी इत्यादि से मारपीट कर साधारण एवं अस्थिभंग कर गम्भीर उपहतियां कारित की तथा परिवादी लटूरलाल के सिर पर कुटिया से वार कर साशय एवं यह जानते हुए तथा ऐसी परिस्थितियों में चोट कारित की, यदि उस कृत्य से मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के दोषी होते तथा परिवादी लटूरलाल के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसकी लोक शांति भंग होगी, स्वेच्छया गाली-गलौच कर उसे अपमानित व प्रकोपित किया ?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.-1 लटूरलाल स्वयं परिवादी/मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल भर पहले की बात है। वह उसके खेत चारा काट रहा था। उसका खेत मियाडा गांव

में है। वहां पर विशाल और ओमप्रकाश ने उसके साथ कुटिया से मारपीट की। मारपीट से उसके सिर में चोट लगी थी। फिर उसे बालचंद और उसकी घरवाली वहां से उठाकर सारोला अस्पताल ले गये। उसके बाद वहां से उसे झालावाड अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने उसका पर्चा बयान लिया, जो प्रदर्श पी.-1 है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल करवाया था। पुलिस ने उसकी एक बनियान जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-3 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसका लडका सोनू, सियाराम और ओमप्रकाश का भाई सोनू इस घटना से 7-8 महीने बिन्दू सरपंच की रैली में गये थे। आगे स्वीकार किया है कि ओमप्रकाश का भाई सोनू सियाराम से पैट्रोल के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके लडके से नहीं मांग रहा था तथा पैसों को लेकर लडाई हुयी थी। आगे स्वीकार किया है कि उसके लडके धर्मराज ने ओमप्रकाश के लकडी की सिर पर दी थी और उसका मुकदमा भी खानपुर थाने में चल रहा है।

12- गवाह पी.ड.-2 बालचन्द प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल भर पहले सुबह करीब 8.00 बजे की बात है। वह ठाकर साहब के खेत पर रखवाली कर रहा था। लटूर के खेत पर लडाई-झगडा हुआ था। लटूर के साथ मारपीट हुयी। किसने की उसे पता नहीं। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

13- गवाह पी.ड.-3 संतोषबाई परिवादी की पत्नी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले सुबह करीब 7-8 बजे की बात है। उसके पति खेत पर भैंस बांधने गये थे। ओमप्रकाश के हाथ में कुटिया व विशाल के हाथ में लकडी थी, जिससे उन्होंने उसके पति के साथ मारपीट की, जिससे उसके पति के सिर, पैर, हाथों में चोटें आयी थी। फिर वहां से बालचंद लुहार उसके पति को उठाकर उसके घर पर लाये थे। फिर उसके पति को उनके घर परिवार वाले सारोला अस्पताल लेकर गये थे। इन्होंने उसके पति के साथ क्यों मारपीट की, उसे पता नहीं। उसे घटना के बारे में बालचन्द लुहार ने बताया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि बालचंद लुहार ने उसे घटना के बारे में बताया था तथा वह मौके पर नहीं थी। आगे स्वीकार किया है कि उसके लडके धर्मराज व सोनू बिन्दू सरपंच की रेली में गये थे जहां पैसों को लेकर इनका लडाई झगडा हुआ था तथा जिसकी रिपोर्ट सारोला थाने में उसके लडके के खिलाफ दर्ज हुयी थी जिसका केस चल रहा है। आगे स्वीकार किया है कि उसके लडके धर्मराज

ने ओमप्रकाश के सिर पर लकडी की मारी थी। फिर स्पष्ट करती है कि ओमप्रकाश ने भी उसके लडके के साथ मारपीट की थी, उस समय दोनों ने आपस में एक दूसरे के मारी थी।

14- गवाह पी.ड.-4 सोनू व पी.ड.-6 कमल प्रकाश नक्शा मौका के साक्षीगण है, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले की बात है। पुलिस वाले गांव में आये थे और उनके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर क्रमशः सी से डी व ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त दोनों गवाहान ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किये है।

15- गवाह पी.ड.-5 हरिराम फर्द गिरफ्तारी व जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.09.2020 को थाना सारोला कलां में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-170/2020 में मजरूब लटूरलाल बैरवा द्वारा उसके मकान पर हैड साहब परमानन्द जी को उसके सामने एक बनियान पेश की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में हैड साहब परमानन्द जी द्वारा उसी दिन उसके सामने मुलजिमान ओमप्रकाश व विशाल को थाने पर गिरफ्तार किया, जिनकी फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी.-5 व 6 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी श्री परमानन्द हैड कानि. द्वारा मुलजिम ओमप्रकाश से उसके खेत से उसके द्वारा पेश करने पर एक कुटिया जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी श्री परमानन्द हैड कानि. द्वारा मुलजिम विशाल से उसके द्वारा ओमप्रकाश के खेत से एक लकडी निकाल कर पेश करने पर जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि फर्द जब्ती बनियान प्रदर्श पी.-3 दिनांक 10.09.2020 की है। आगे स्वीकार किया है कि जिस दिन फरियादी के साथ घटना घटी उस दिन उसने बनियान जब्त नहीं करवायी। आगे स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल के नक्शे मौके प्रदर्श पी.-8 व 10 में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया तथा प्रदर्श पी.-8 व 10 वाले स्थान खुले स्थान है। आगे स्वीकार किया है कि कुटिया व लकडी गांव में अमूमन सभी जगह मिल जाती है।

16- गवाह पी.ड.-7 डॉ. शिवलाल मीणा चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.08.2020 को सी.एच.सी. सारोला में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना सारोला के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब लटूरलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर निम्न चोटें थी- चोट सं.-1 ललाट पर 6 सेमी का 6 टांके लगा हुआ घाव। चोट सं.-2 बांयी आंख लाल स्केलरा के साथ लाल। चोट सं.-3 बांये टांग पर 3 सेमी का दो टांके लगा हुआ घाव। चोट सं.-4 बांये टखने पर 1 सेमी का एक टांका लगा हुआ घाव। चोट सं.-5 नीलगु के साथ सूजन 3*2 सेमी दांये पैर पर। उक्त चोटों की अवधि 4-6 दिन पुरानी थी। चोट सं.-2 लगायत 5 साधारण प्रकृति की व कुन्दालय से कारित थी। चोट सं.-1 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे चोट सं.-1 गंभीर प्रकृति की व कुन्दालय से कारित पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह, ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उक्त सभी चोटें गिरने-पडने से आ सकती है तथा चोट सं.-1 भी पत्थर पर गिरने-पडने से आ सकती है।

17- गवाह पी.ड.-8 विनोद कुमार पर्चा बयान लेखन व मालखाना इन्चार्ज है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.08.2020 को थाना सारोला में हैड कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने पर सूचना मिलने पर उसने एस.आर.जी. अस्पताल, झालावाड में आकर भर्ती मजरूब लटूरलाल का पर्चा बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किया। पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी मजरूब लटूरलाल व सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ उसके द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही अंकित है। वापसी थाने पर उक्त पर्चा बयान थानाधिकारी सारोला के सुपुर्द किया, जिस पर उन्होंने प्रकरण सं.-170/2020, धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. में दर्ज किया था। प्रकरण की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह मालखाना इंचार्ज भी था। दिनांक 10.09.2020 को उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमानन्द हैड कानि. द्वारा उसे तीन सीलशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी मालखाना में जमा करने हेतु दिये, जिनका इन्द्राज उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक-258 पर किया व माल मालखाना में जमा किया। उक्त माल को दिनांक 21.09.2020 को श्री देवेन्द्र कानि. को एफ.एस.एल. जमा कराने हेतु मय अग्रेषण पत्र के मालखाना से निकालकर

दिया. जिसने रसीद क्रमांक-1337 दिनांक 22.09.2020 की लाकर पेश की. जिसको उसने अनुसंधान अधिकारी को संभलाया था। मालखाना रजिस्टर मूल प्रदर्श पी.-14 व प्रति प्रदर्श पी.-14ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.-15 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब उसने मजरूब लटूरलाल के बयान लिये तब वो बयान देने की स्थिति में था। आगे स्वीकार किया है कि लकडी, कुटिया आमतौर पर गांव में काश्तकारों के पास मिल जाते है तथा कुटिया धारदार होता है।

18- गवाह पी.ड.-9 देवेन्द्र एफ.एस.एल. केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 21.09.2020 को थाना सारोला में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-170/2020 में मालखाना इंचार्ज विनोद कुमार द्वारा उसे तीन सीलशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी एफ.एस.एल. कोटा में जमा करने हेतु मय अग्रेषण पत्र के दिये थे। उक्त पैकेट को लेकर वह एस.पी. कार्यालय गया और वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर उक्त माल दिनांक 22.09.2020 को कोटा एफ.एस.एल. में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद क्रमांक-1337 दिनांक 22.09.2020 की लाकर मालखाना इंचार्ज को पेश की। एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-16 है. जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.-15 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसे उक्त तीनों पैकेट सीलशुदा अवस्था में नहीं मिले हो तथा उसने उक्त पैकेट के साथ छेडखानी की हो।

19- गवाह पी.ड.-10 बालूराम फर्द गिरफ्तारी व जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.09.2020 को थाना सारोला कलां में कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-170/20 में अनुसंधान अधिकारी श्री परमानंद द्वारा मजरूब लटूरलाल की एक बनियान जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में ओमप्रकाश व विशाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द क्रमशः प्रदर्श पी.-5 व 6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम ओमप्रकाश से एक कुटिया जब्त व बरामद की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिसका फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम विशाल से एक लकडी जब्त व बरामद की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिसका फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसके सामने कोई गिरफ्तारी व बरामदगी नहीं हुई हो। आगे स्वीकार किया है कि किसी भी फर्द जब्ती पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

20- गवाह पी.ड.-11 डॉ. भूपेन्द्र गोलेच्छा रेडियोलॉजिस्ट है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.08.2020 को मेडीकल कॉलेज झालावाड में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते हुए, उसने मेडीकल ज्युरिष्ट सारोला कलां के एक्सरे प्रतिवेदन पर मजरूब लटूरलाल के सिर का एक्सरे करवाया था। बाद एक्सरे खोपडी की बांई आंख वाली हडडी में अस्थिभंग पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.-18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उक्त चोट ठोस धरातल पर गिरने से आना संभव है।

21- गवाह पी.ड.-12 परमानन्द अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.08.2020 को थाना सारोला में हैड कानि. के पद पर रहते हुए, विनोद जी हैड के द्वारा पर्चा बयान लटुरलाल का लिया था। उसने उसके अनुसंधान में दिनांक 08.08.2020 को घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 10.09.2020 को फर्द जब्ती एक बनियान, मजरूब लटूरलाल की जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने मुलजिम ओमप्रकाश व विशाल की फर्द गिरफ्तारी दिनांक 10.09.2020 को बनायी, जो प्रदर्श पी.-5 व पी.-6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 10.09.2020 को फर्द जब्ती बरामदगी एक कुटिया मुलजिम ओमप्रकाश से बरामद किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ई से फ उसके हस्ताक्षर है। उसने फर्द बरामदगी स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी.-8 बनाया, जिस पर दो जगह ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फर्द जब्ती बरामदगी एक लकडी विशाल से जब्त की, जो प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसने फर्द नक्शा बरामदगी घटनास्थल का प्रदर्श पी.-10 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी लटूरलाल, संतोषबाई के 161 सी.आर.पी.सी. के बयान लिये थे। उसके द्वारा मुलजिम ओमप्रकाश व विशाल को 41क का नोटिस दिया, जो प्रदर्श पी.-17 व पी.-18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। उसने चेक लिस्ट ओमप्रकाश व विशाल की बनायी, जो प्रदर्श पी.-19 व पी.-20 है,

जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उसने मुलजिम ओमप्रकाश व विशाल के खिलाफ अपराध धारा 341, 323, 504, 325, 308/34 भा.दं.सं. प्रमाणित पाया गया। दौराने अनुसंधान चार्जशीट एस.एच.ओ. रघुवीर सिंह के द्वारा पेश की गयी। उसके द्वारा मुलजिमान से पुछताछ की गयी तथा उसके द्वारा मुलजिम ओमप्रकाश व विशाल को 27 की सूचना दी, जो क्रमशः प्रदर्श पी.-21 व पी.-22 है, जिस पर ए सी बी उसके, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने गवाहों के बयान उनके कथनानुसार नहीं लिये हो तथा जब्ती व फर्दों पर स्वतंत्र गवाह ना हो।

22- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-1 लटूरलाल के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो वह अपने बयानों में स्वयं द्वारा दिनांक 03.08.2020 को दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए कहता है कि घटना के दिन वह खेत पर जा रहा था, तो वहां पर अभियुक्तगण विशाल व ओमप्रकाश ने इसके साथ मारपीट की, कुटिया से मारपीट की, मारपीट से इसके सिर में चोट लगी। फिर इसे बालचन्द व इसकी घरवाली उठाकर सारोला अस्पताल ले गये, जहां से इसे झालावाड़ रेफर कर दिया। प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि इसके लड़के धर्मराज ने ओमप्रकाश के लकड़ी की सिर पर दी, उसका मुकदमा खानपुर चल रहा है तथा उसमें राजीनामे की बात चली थी, उसमें ओमप्रकाश ने राजीनामा नहीं किया था। जिस बालचन्द द्वारा घटनास्थल से उठाकर ले जाना परिवादी ने अपने बयानों में बताया है, वह गवाह पी.ड.-2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है, तथापि परिवादी के बयानों की इस हद तक ताईद करता है कि यह घटना के दिन सुबह 8.00 बजे के करीब ठाकर साहब के खेत पर रखवाली कर रहा था। परिवादी लटूर के खेत पर लड़ाई-झगड़ा हुआ था व लटूर के साथ मारपीट हुई थी। इस प्रकार यह गवाह यद्यपि मुलजिमान को परिवादी के साथ मारपीट करने वालों के रूप में नामजद नहीं करता है, लेकिन परिवादी लटूर के साथ मारपीट की घटना होने की ताईद करता है। गवाह पी.ड.-3 सन्तोषबाई परिवादी की पत्नी है, जो यद्यपि घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, तथापि यह कहती है कि इसके पति के साथ अभियुक्तगण ओमप्रकाश व विशाल ने मारपीट की, जिससे इसके पति के सिर, पैर, हाथों में चोटें आयी थी तथा प्रतिपरीक्षा में मौके पर उपस्थित नहीं होना स्वीकार करती है। इस प्रकार यह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि घटना की पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में व परिवादी लटूरलाल को मजरूबी हालत में देखे जाने बाबत् सुसंगत व

सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देती है। गवाह पी.ड.-4 सोनू व पी.ड.-6 कमल प्रकाश नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 के गवाहान है, जो स्वयं के समक्ष पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका बनाये जाने की ताईद करते हैं। गवाह पी.ड.-5 हरिराम कान्स्टेबल व पी.ड.-10 बालूराम कान्स्टेबल अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश की निशानदेही से ओमप्रकाश के खेत से एक कुटिया जरिये फर्द प्रदर्श पी.-7 जब्त किये जाने व अभियुक्त विशाल की निशानदेही से भी ओमप्रकाश के खेत से एक लकड़ी जरिये फर्द प्रदर्श पी.-9 जब्त किये जाने की ताईद करते हैं। यद्यपि गवाह पी.ड.-5 हरिराम कान्स्टेबल अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि इसने कुटिया नहीं देखा तथा जब्तशुदा लकड़ी को भी नहीं देखा कि उस पर खून था या नहीं। परिवादी लटूरलाल द्वारा अपने बयानों में स्वयं के सिर पर चोट आना बताया है तथा परिवादी की पत्नी संतोषबाई ने भी स्वयं के पति के सिर, पैर व हाथों में चोटे आना बताया है। उपरोक्त बयानों के सन्दर्भ में चिकित्सक साक्षी पी.ड.-7 डॉ. शिवलाल मीणा के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो दिनांक 07.08.2020 को मजरूब लटूरलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण करने पर ललाट पर 6 सेमी का 6 टांके लगा हुआ घाव, बांयी आंख लाल स्केलरा के साथ लाल, बांये टांग पर 3 सेमी का दो टांके लगा हुआ घाव, बांये टखने पर 1 सेमी कर एक टांका लगा हुआ घाव और दांये पैर पर नीलगू के साथ सूजननुमा चोटें व चोटों की अवधि 4-6 दिन पुरानी थी तथा बाद एक्सरे चोट सं.-1 गम्भीर प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित पायी गयी तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित थी। यद्यपि चिकित्सक साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त सभी चोटें गिरने-पड़ने से आ सकती है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में परिवादी व उसकी पत्नी की साक्ष्य व पी.ड.-2 बालचन्द की साक्ष्य की परिवादी के साथ उसके खेत पर मारपीट की घटना घटित हुई थी, यह संभावना सही प्रतीत नहीं होती है। गवाह पी.ड.-11 डॉ. भूपेन्द्र गोलेच्छा ने भी अपने बयानों में एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-17 पर स्वयं के द्वारा दी गयी राय की ताईद करते हुए कहा है कि मेडिकल ज्यूरिष्ट सारोलाकलां के एक्सरे प्रतिवेदन पर मजरूब लटूरलाल के सिर का एक्सरे करवाया, बाद एक्सरे खोपड़ी की बांई आंख वाली हड्डी में अस्थिभंग पाया था। गवाह पी.ड.-12 परमानन्द प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो कि अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देते हुए, दौराने अनुसंधान अभियुक्त ओमप्रकाश की निशानदेही से जरिये फर्द प्रदर्श पी.-7 कुटिया जब्त किये जाने व अभियुक्त विशाल की निशानदेही से अभियुक्त ओमप्रकाश के खेत से घटना में प्रयुक्त लकड़ी जरिये फर्द प्रदर्श पी.-9 जब्त किया जाना बताता है। इस प्रकार परिवादी के बयानों की ताईद घटना के पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में उसकी पत्नी पी.ड.-3 संतोषबाई ने भी

अपने बयानों में की है। घटना के समय पास ही के खेत पर मौजूद गवाह पी.ड.-2 बालचन्द ने लटूरलाल के साथ मारपीट की घटना होने की ताईद की है।

23- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि परिवादी के लड़के धनराज ने ओमप्रकाश के लकड़ी की सिर पर मारी थी, जिसका मुकदमा खानपुर चल रहा है, उसमें ओमप्रकाश ने राजीनामा से मना कर दिया, इसलिये यह झूंठा मुकदमा परिवादी ने दर्ज करवाया है। जहां तक पूर्व रंजिश के रूप में परिवादी के लड़के द्वारा ओमप्रकाश के साथ मारपीट किये जाने के मुकदमें का संबंध है। पूर्व रंजिश सदैव अभियोजन के लिये घातक नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम किशनपाल (2008) 16 एस.सी.सी. 73** में प्रतिपादित किया है कि "पूर्व रंजिश दो धारी तलवार के समान है। यह एक ओर झूंठे आरोप की संभावना दर्शाती है, वहीं अभियोजन के पक्ष में अभियुक्त द्वारा अपराध करने का मोटिव भी हो सकती है। अतः साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक है।" विशेष कर जबकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी के शरीर पर आयी चोटों को देखते हुए ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त चोटें परिवादी ने अभियुक्तगण को फंसाने के लिये झूंठी कारित की हो। विशेष कर अभियुक्त विशाल से कोई पूर्व रंजिश होना पत्रावली पर नहीं है।

24- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि कुटिया एक धारदार हथियार है, जबकि परिवादी के शरीर पर आयी चोटें चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार कुन्दालय हथियार द्वारा कारित की गयी है। जहां तक चिकित्सकीय साक्ष्य का संबंध है, चिकित्सकीय साक्ष्य मुख्य साक्ष्य की सम्पुष्टिकारी होती है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि धारदार हथियार का यदि उपयोग उसके कुन्द सिरे से चोट कारित की जाये, तो धारदार प्रकृति की चोट आना आवश्यक नहीं है। मारपीट के समय, वार करते समय परिवादी का स्वयं का बचाव किया जाना भी स्वाभाविक तथ्य है तथा बचाव किये जाते समय या वार से बचते समय यदि हथियार का कुन्द सिरा मजरूब के शरीर पर लगता है तो कुन्द हथियार की चोट आना स्वाभाविक है तथा इस तरह की परिस्थितियां मारपीट के प्रकरणों में स्वाभाविक तथ्य है। अतः मात्र इस आधार पर कि कुटिया धारदार हथियार होता है व परिवादी के शरीर पर आयी चोटें कुन्द हथियार से कारित है। अभियुक्तगण हस्तगत प्रकरण में परिवादी को कारित चोटों के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते।

25- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि अभियुक्त ओमप्रकाश से अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त की गयी कुटिया व अभियुक्त विशाल से जब्त की गयी लकड़ी खेती-बाड़ी के साधारण उपकरण है, जो सामान्यतया सभी ग्रामीणों के पास पाये जाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त विशाल की निशानदेही से ओमप्रकाश के खेत से बरामद लकड़ी पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श सी.-2 के अनुसार खून की मौजूदगी पाई गई, लेकिन उक्त लकड़ी की बरामदगी ओमप्रकाश के खेत से हुई है व साधारण वस्तु है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य मात्र बरामदगी पर आधारित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह, (2011) 9 एस.सी.सी. 115 में यह माना है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्जी विश्वसनीय हो, तो हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार गुरमैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) 12 एस.सी.सी. 418 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बरामदगी होने से एक सुसंगत तथ्य है, लेकिन ऐसी साक्ष्य नहीं है, जिसके साबित न होने पर अन्य साक्ष्य को नकार दिया जावे। बरामदगी एक सम्पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में पेश की गयी है। स्वयं परिवादी पी.ड.-1 लट्टूरलाल ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण विशाल व ओमप्रकाश द्वारा स्वयं के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य की ताईद की है तथा उसकी सम्पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है तथा परिवादी के घटना के पश्चातवर्ती मजरूबी हालत में होने की पुष्टि पी.ड.-3 संतोषबाई ने भी अपने बयानों में की है तथा घटना के समय घटनास्थल के पास वाले खेत पर मौजूद गवाह पी.ड.-2 बालचन्द ने भी पक्षद्रोही होते हुए, परिवादी लट्टूरलाल के साथ मारपीट की घटना होने की ताईद की है। अतः ऐसी स्थिति में यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण ओमप्रकाश व विशाल से कुटिया व लकड़ी बरामद नहीं हुई है, तो भी अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य से यह सन्देह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी लट्टूरलाल के साथ स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की व उसके सिर पर गम्भीर उपहति कारित कर अस्थिभंग कारित किया गया।

26- साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी लट्टूरलाल के सिर पर आयी चोट, चूंकि गम्भीर प्रकृति की है तथा एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को यह जानकारी होना स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति के सिर पर ऐसा प्रहार किया जाये, जिससे कि उसके सिर पर अस्थिभंग कारित हो जाये, उसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है और यह जानते हुए अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के मार्मिक अंग सिर पर

वार किया तथा वार इस तीव्रता का था, जिससे परिवादी के सिर में अस्थिभंग कारित हुआ। चूंकि परिवादी के पर्चा बयान व न्यायालय में हुए बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ओमप्रकाश व विशाल दोनों ने मिलकर परिवादी के साथ मारपीट की है व दोनों का सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करना भी जाहिर है। अतः कारित अपराधों के लिये दोनों अभियुक्तगण संयुक्त रूप से हैं, धारा 34 भा.दं.सं. के तहत् उत्तरदायी है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34 एवं 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

27- जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा 341 व 504 भा.दं.सं. का संबंध है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी हैकि परिवादी किसी विशिष्ट दिश की ओर अग्रसर हो और अभियुक्तगण द्वारा उसे जाते हुए को रोककर उसे सदोष अवरोधित किया हो तथा साथ ही परिवादी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ गाली-गलौच की हो या अन्यथा उसे अपमानित व प्रकोपित किया हो। अतः ऐसी दशा में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 341 व 504 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण 1- ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम, उम्र 22 वर्ष व 2- विशाल पुत्र मोरध्वज, उम्र 21 वर्ष, निवासीगण मियाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को आरोपित अपराध धारा 341 व 504 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(2) परन्तु अभियुक्तगण 1- ओमप्रकाश व 2- विशाल को आरोपित अपराध धारा 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34 व 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाईः-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार तथा घर में अकेले कमाने वाले नवयुवक हैं, जिनका यह प्रथम अपराध है, उनकी कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण वर्ष 2021 अर्थात् करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि से इस प्रकरण में विचारण की यन्त्रणा भुगत चुके हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में भी रह चुके हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाने का निवेदन किया।

2- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब लटूरलाल के साथ मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की गयी है, जिसके प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने से, समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अतः अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

3- उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य नहीं है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब लटूरलाल के साथ मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित कर आपराधिक मानव वध करने का प्रयन्त किया है। अतः अभियुक्तगण की स्थिति, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति अत्यधिक नरम रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्तगण के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता हैः-

दण्डादेश

अतः अभियुक्तगण 1- ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम, उम्र 22 वर्ष व 2- विशाल पुत्र मोरध्वज, उम्र 21 वर्ष, निवासीगण मियाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 323 सपठित धारा 34, धारा 325 सपठित धारा 34 व धारा 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषी पाये जाने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1- उक्त प्रत्येक अभियुक्त **धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में **01 वर्ष** के साधारण व **1,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **15 दिवस** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

2- उक्त प्रत्येक अभियुक्त **धारा 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में **05 वर्ष** के साधारण कारावास व **10,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **01 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

3- उक्त प्रत्येक अभियुक्त **धारा 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में **05 वर्ष** के साधारण कारावास व **20,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **02 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

4- अभियुक्तगण की उक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, धारा 428 दं.प्र.सं. के अनुसार उनकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। अभियुक्तगण के सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किए जावें। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क दी जावे।

5- प्रकरण में जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-7 व 9 से जब्तशुदा वजह सबूत कुटिया व लकड़ी बाद गुजरने मियाद अपील व अपील न होने की सुरत में नियमानुसार नष्ट की जावें।

6- सम्पूर्ण जुर्माना राशि **62,000/-रूपये** जमा होने पर, उसमें से **50,000/-रूपये** परिवादी/मजरूब लटूरलाल को बाद गुजरने मियाद अपील बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा की जावे।

7- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी/मजरूब लटूरलाल को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

8- निर्णय आज दिनांक **02.05.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।